भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3213

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>एमएमटीसी की जांच</u>

3213. डा. किरीट सोमैया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) की खनिज और धातु व्यापार निगम संबंधी जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को एमएमटीसी के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अब तक उक्त शिकायतों की जांच की है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एमएमटीसी) के कार्यों के किसी जांच का आदेश नहीं दिया है। सीबीआई ने एनएसईएल प्लेटफार्म पर एमएमटीसी को हुई हानि की जांच के लिए एक मामला आरसी संख्या 5(ई)/2014 दर्ज किया है।

(ख) और (ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय को श्री आर. के. तंवर की एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें मैसर्स राष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) को अनुचित लाभ देने और कृषि उत्पादों की खरीद/बिक्री के लिए स्पॉट संविदा में व्यापार हेतु एनएसईएल में धन निवेश करने की शिकायत की गई है।

(घ) से (च): सीबीआई ने स्वर्ण व्यापार में हानि के संबंध में निदेशक, एमएमटीसी के विरूद्ध एक शिकायत एन.13/2014 दर्ज की थी जो दिनांक 01.09.2014 को बंद हो गया है।

सीबीआई ने एमएमटीसी के विरूद्ध 5 मामलें दायर किए हैं जिनके ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

*****

एमएमटीसी की जांच से संबंधित दिनांक 07.08.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3213 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सीबीआई द्वारा एमएमटीसी के अधिकारियों के विरूद्ध दायर मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	शिकायत संख्या/ मामला संख्या	संक्षिप्त आरोप	वर्तमान स्थिति
1	पीई 2(ई)/2013	एमएमटीसी को एनएसईएल प्लेटफार्म पर हुई हानि के संबंध में।	जांच को एक नियमित मामले में बदल दिया गया है।
2	आरसी 5(ई)/2014	-वही-	जांच जारी है।
3	आरसी 1(ए)/2013	एमएमटीसी के अधिकारियों द्वारा आपराधिक षडयंत्र और खरीददार क्रेडिट स्कीम सुविधा के मामले में किसी निजी फर्म का अनुचित पक्ष लेते हुए बेईमानी से और गलत तरीके से पद का दुरुपयोग।	ट्रायल जारी है।
4	पीई 3(ए)/2013	निविदा मार्गनिर्देशों और कंपनी के नियमों में छेड़-छाड़ करते हुए किसी निजी फर्म से 163 कि.ग्रा. चांदी के सिक्कों के खरीद के संबध में।	जांच को एक नियमित मामले में बदल दिया गया है।
5	आरसी 22(ए)/2013	-वही-	जांच जारी है।

*****